उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-3

संख्या-101/2017/आर-1614/26-3-2017-4(358)/07टी.सी.।।।

लखनऊः दिनांकः 23 जून 2017

कार्यालय ज्ञाप

समाज कल्याण अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-84/2016/आर-755/26-3-2016-4(358)/07टी.सी.।।, दिनांक-14.04.2017 द्वारा प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2012 (यथा संशोधन)-2016" पर सम्यक्विचारोपरान्त तात्कालिक प्रभाव से उक्त नियमावली के कतिपय प्रस्तरों में संशोधन/नवीन नियम जोड़ते हुये सुसंगत नियमावली का (षष्टम संशोधन)-2017 निम्नवत् किया जाता हैः-

वर्तमान नियम	नियम में संशोधन
1	2
	नियम-5(ड) तकनीकी/प्रबन्धन से सम्बन्धित ऐसे व्यवसायिक पाठ्यक्रम जिनकी फीस, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति निर्धारित नहीं करती है उन पाठ्यक्रमों में उसी प्रकार के समकक्ष पाठ्यक्रम में फीस नियमन समिति द्वारा निर्धारित शुल्क की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
नियम-6(ii) यह छात्रवृत्तियां निम्नलिखित अपवादों को छोड़कर मान्यता प्राप्त संस्थानों में पढ़ाये जाने वाले सभी मान्यता प्राप्त दशमोत्तर या सेकेण्ड्री के बाद के पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिये दी जायेगी। क-विमान अनुरक्षण इंजीनियर पाठ्यक्रम। ख-निजी विमान चालक लाइसेंस पाठ्यक्रम। ग-ट्रेनिगशिप डफरिन (अब राजेन्द्रा) के पाठ्यक्रम। घ-सैनिक महाविद्यालय, देहरादून के प्रशिक्षण पाठ्यकम। च-अखिल भारतीय तथा राज्य स्तरीय पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों के पाठ्यक्रम। छ-पत्राचार पाठ्यक्रम एवं सुदूर व अनुवर्ती शिक्षा के पाठ्यक्रम	नियम-6(ii) यह छात्रवृत्तियां निम्नलिखित अपवादों को छोड़कर मान्यता प्राप्त संस्थानों में पढ़ाये जाने वाले सभी मान्यता प्राप्त दशमोत्तर या सेकेण्ड्री के बाद के पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिये दी जायेगी। क- विमान अनुरक्षण इंजीनियर पाठ्यक्रम। ख-निजी विमान चालक लाइसेंस पाठ्यक्रम। ग- ट्रेनिगशिप डफरिन (अब राजेन्द्रा) के पाठ्यक्रम। घ-सैनिक महाविद्यालय, देहरादून के प्रशिक्षण पाठ्यकम। च- अखिल भारतीय तथा राज्य स्तरीय पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों के पाठ्यक्रम। छ- पत्राचार पाठ्यक्रम एवं सुदूर व अनुवर्ती शिक्षा के पाठ्यक्रम। ज-निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में संचालित ऐसे पाठ्यक्रम जिनको किसी विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंगबाडी/सक्षम विभाग स्तर से सर्टिफिकेट/अंकपत्र प्रदान नहीं किये जाते हैं तथा सक्षम स्तर से परीक्षा आयोजन हेतु एजेंसी अधिकृत न हो अर्थात ऐसे पाठ्यक्रम जो किसी सक्षम स्तर से नियंत्रित नहीं किये जाते।
नियम-6(xvi) कमर्शियल पायलट लाइसेंस कोर्स में कमर्शियल हेलीकाप्टर पायलट लाइसेंस कोर्स, तथा कमर्शियल पायलट लाइसेंस के साथ मल्टी इंजन श्रेणी प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवार को छात्रवृत्ति प्राप्त हो जाने के बाद	नियम-6(xvi) राजकीय एविएशन संस्थानों में संचालित कमर्शियल पायलट लाइसेंस कोर्स में कमर्शियल हेलीकाप्टर पायलट लाइसेंस कोर्स, तथा कमर्शियल पायलट लाइसेंस के साथ मल्टी इंजन श्रेणी प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवार को भारत सरकार के अनुमोदनोपरांत छात्रवृत्ति एवं शुल्क

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

भी ए-320 के तथा समान एयरक्राफ्ट पर प्रशिक्षण हासिल होगा जिसके अन्तर्गत अध्ययनरत अभ्यर्थियों को केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार केन्द्र सरकार की स्वीकृति के पश्चात अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जायेगा।	प्रतिपूर्ति देय होगी। इस क्रम में भारत सरकार द्वारा स्वीकृति की तिथि को पाठ्यक्रम में निर्धारित शुल्क की प्रतिपूर्ति की जायेगी। धनराशि प्राप्त हो जाने के बाद भी ए-320 के तथा समान एयरक्राफ्ट पर प्रशिक्षण हासिल होगा जिसके अन्तर्गत अध्ययनरत अभ्यर्थियों को केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार केन्द्र सरकार की स्वीकृति के पश्चात अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जायेगा। एक माता-पिता/अभिभावक के केवल एक ही पुत्र/पुत्री को यह सुविधा अनुमन्य होगी।
	नियम-6 (xviii) शैक्षिक सत्र में 75 प्रतिशत या उससे उपर उपस्थित वाले छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सुविधा अनुमन्य होगी। उक्त उपस्थिति प्रमाणित करने का उत्तरदायित्व संस्था का होगा। यदि किसी छात्र की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है तो छात्र को भुगतानित शुल्क की धनराशि वापस करनी होगी।
नियम-9(i) प्रदेश के समस्त शासकीय, शासकीय सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों को शिक्षण संस्थान से सम्बन्धित समस्त आवश्यक विवरण यथा- शिक्षण संस्थान का नाम, संचालित पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम की मान्यता, पाठ्यक्रम हेतु सक्षम स्तर से स्वीकृत सीटों की संख्या, वार्षिक शिक्षण एवं परीक्षा शुल्क आदि निर्धारित प्रारूप पर स्वयं आनलाइन भरकर "मास्टर डाटाबेस" में प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई तक सम्मिलित होना होगा। प्रदेश के बाहर के निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों को जिलाधिकारी/जिला कलेक्टर/ जिला मजिस्ट्रेट की संस्तुति अपने आवश्यक अभिलेखों के साथ प्रेषित करनी अनिवार्य होगी। प्रत्येक शिक्षण संस्थान स्वयं उपरोक्त अवधि में मास्टर डाटाबेस में नये पाठ्यक्रमों को शामिल कर सकेगें एवं असंचालित पाठ्यक्रमों को स्वयं हटा सकेगें। मास्टर डाटाबेस में निर्धारित तिथि तक शामिल होने वाले शिक्षण संस्थानों एवं पाठ्यक्रमों (सी0पी0एल0 पाठ्यक्रम एवं संस्थान को छोडकर) में अध्ययनरत छात्र/छात्रा ही छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के पात्र होगें। संस्था द्वारा मान्यता समर्पित किये जाने अथवा संस्था को	नियम-9(i) प्रदेश के समस्त शासकीय, शासकीय सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों तथा प्रदेश के बाहर के समस्त शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को शिक्षण संस्थान से सम्बन्धित समस्त आवश्यक विवरण यथा- शिक्षण संस्थान का नाम, संचालित पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम की मान्यता, पाठ्यक्रम हेतु सक्षम स्तर से स्वीकृत सीटों की संख्या, वार्षिक शिक्षण एवं परीक्षा शुल्क आदि निर्धारित प्रारूप पर स्वयं आनलाइन भरकर "मास्टर डाटाबेस" में प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक सम्मिलित होना होगा। प्रत्येक शिक्षण संस्थान स्वयं उपरोक्त अवधि में मास्टर डाटाबेस में नये पाठ्यक्रमों को शामिल कर सकेगें एवं असंचालित पाठ्यक्रमों को स्वयं हटा सकेगें। मास्टर डाटाबेस में निर्धारित तिथि तक शामिल होने वाले शिक्षण संस्थानों एवं पाठ्यक्रमों (सी0पी0एल0 पाठ्यक्रम एवं संस्थान को छोडकर) में अध्ययनरत छात्र/छात्रा ही छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के पात्र होगें। संस्था द्वारा मान्यता समर्पित किये जाने अथवा संस्था को बन्द किये जाने की सूचना दिये जाने पर शिक्षण संस्थान का नाम मास्टर डाटा से जिला समाज कल्याण अधिकारी/ नोडल/प्रभारी अधिकारी प्रदेश के बाहर दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना मुख्यालय द्वारा हटाया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बन्द किये जाने की सूचना दिये जाने पर शिक्षण संस्थान का नाम मास्टर डाटा से जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा हटाया जायेगा।	
नियम-9(ii)उक्त मास्टर डाटाबेस में प्रत्येक वर्ष केवल ऐसे शिक्षण संस्थान शामिल हो सकेंगे जिनको एवं जिनमें संचालित पाठ्यक्रमों की मान्यता एवं सम्बद्धता 30 जून तक सक्षम स्तर से प्राप्त हो चुकी हो। 30 जून के पश्चात् मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त करने वाले शिक्षण संस्थान एवं पाठ्यक्रमों को आगामी वित्तीय वर्ष में मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित किया जायेगा।	नियम-9(ii) उक्त मास्टर डाटाबेस में प्रत्येक वर्ष केवल ऐसे शिक्षण संस्थान शामिल हो सकेंगे जिनको एवं जिनमें संचालित पाठ्यक्रमों की मान्यता एवं सम्बद्धता 15 जुलाई तक सक्षम स्तर से प्राप्त हो चुकी हो। 15 जुलाई के पश्चात् मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त करने वाले शिक्षण संस्थान एवं पाठ्यक्रमों को आगामी वित्तीय वर्ष में मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित किया जायेगा। यदि किसी संस्था को मान्यता निर्धारित तिथि 15 जुलाई के पश्चात प्राप्त होती है तथा मास्टर डाटा में नाम शामिल किया जाता है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व जिला समाज कल्याण अधिकारी/पटल सहायक का होगा।
नियम-11नोट-(3) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) लखनऊ द्वारा उपलब्ध बजट के अनुरूप प्रतिवर्ष वरीयता क्रम के आधार पर नवीनीकरण एवं नव प्रवेशित छात्र/छात्राओं की अलग-अलग सृजित श्रेणीवार मांग (जनपदवार) के विवरण की हस्ताक्षरित हार्ड एवं साफ्ट कापी जनपदों को धनावंटन हेतु निदेशालय समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।	नियम-11 नोट-(3) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) लखनऊ द्वारा उपलब्ध बजट के अनुरूप प्रतिवर्ष वरीयता क्रम के आधार पर नवीनीकरण एवं नव प्रवेशित छात्र/छात्राओं की अलग-अलग सृजित श्रेणीवार मांग (जनपदवार/बैंकवार) के विवरण की हस्ताक्षरित हार्ड एवं साफ्ट कापी, छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में धनराशि अंतरित किये जाने हेतु निदेशालय समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।
नियम-15(iv) छात्र द्वारा यदि अध्ययन वर्ष के दौरान, वह अध्ययन जिसके लिए वह छात्रवृत्ति दी गयी है, छोड़ दिया जाता है तो छात्र को छात्रवृत्ति की धनराशि वापस करनी होगी।	नियम-15(iv) छात्र द्वारा यदि अध्ययन वर्ष के दौरान, वह अध्ययन जिसके लिए वह छात्रवृत्ति दी जानी है/दी गयी है, छोड़ दिया जाता है तो छात्र को छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता व शुल्क) की धनराशि प्रदान नहीं की जायेगी/वापस करनी होगी। यदि छात्र दोनो सेमेस्टर की परीक्षा अथवा वार्षिक परीक्षा में सभी विषयों में अनुपस्थित रहता है या परीक्षा/विषयों में उपस्थिति दर्ज कराता है किन्तु सभी विषयों में शून्य अंक प्राप्त करता है तो छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। यदि धनराशि भुगतान की गयी है तो छात्र/संस्था को धनराशि वापस करनी होगी।
नियम-16(iii)-11-छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आनलाइन आवेदन निर्धारित तिथि तक वेबसाइट http://scholarship.up.nic.in के माध्यम से ही केवल भरा जायेगा। किसी अन्य माध्यम से भरे गये फार्म मान्य नहीं होंगे। अभ्यर्थी द्वारा किया गया आवेदन लाक हो	नियम-16(iii)-11-छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आनलाइन आवेदन निर्धारित तिथि तक वेबसाइट http://scholarship.up.nic.in के माध्यम से ही भरा जायेगा। किसी अन्य माध्यम से भरे गये आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे। अभ्यर्थी द्वारा आनलाइन भरा गया आवेदन पत्र निर्धारित तिथि के पश्चात एन0आई0सी0 द्वारा लाक किया

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जाने की दशा में परिवर्तनीय नहीं होगा।	जायेगा।एन0आई0सी0 द्वारा डाटा लाक किये जाने के उपरांत किसी भी दशा में किसी स्तर पर परिवर्तनीय नहीं होगा। आनलाइन डाटा में छेड़-छाड़ किये जाने पर आई0टी0 एक्ट के तहत सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
नियम-16(vii) प्रत्येक छात्र/ छात्रा को छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र में आधार नंबर अंकित करना होगा।	नियम-16(vii) प्रत्येक छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र में आधार नंबर अंकित (वैकल्पिक) करना होगा।
नियम-16(1)(x) बैंक खाते में धनराशि के अन्तरण का reconciliation कराना। यह कार्य उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जाय।	नियम-16 (1)(x) बैंक खाते में धनराशि के अन्तरण का reconciliation कराना। यह कार्य उसी वित्तीय वर्ष में वित्त नियंत्रक/सम्परीक्षाधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी मुख्यालय द्वारा पूर्ण किया जायेगा।
नियम-18 अन्य प्रान्तों में स्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों मे अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी छात्रों को अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि की स्वीकृति एवं वितरण का कार्य निम्नलिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।	नियम-18 अन्य प्रान्तों में स्थित शासकीय तथा शासकीय सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों मे अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी छात्रों को अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि की स्वीकृति एवं वितरण का कार्य निम्नलिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।
विशेष प्रकरणों पर विचार करने हेतु समिति का गठन स्वीकृति	नवीन नियम-20 (क) मा0 उच्चतम/उच्च न्यायालय/मा0 राज्यपाल/मा0 मुख्यमंत्री/मा0 मंत्री समाज कल्याण/मुख्य सचिव/मा0 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के ऐसे प्रकरणों पर शासन स्तर पर विचार हेतु निम्नलिखित समिति गठित की जाती हैः- 1- प्रमुख सचिव समाज कल्याण-अध्यक्ष। 2- प्रमुख सचिव वित्त अथवा नामित प्रतिनिधि-सदस्य। 3- निदेशक समाज कल्याण उ0प्र0-सदस्य। 4- निदेशालय द्वारा नामित अधिकारी-सदस्य/सचिव। 5- छात्रवृत्ति अधिकारी नोडल (मुख्यालय)-सदस्य। नियमावली में अंकित प्राविधानों/शर्तों को पूर्ण करने वाले छात्रों के प्रकरण पर उक्त समिति विचार करेगी एवं छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति देने अथवा न देने के सम्बन्ध में सकारण लिखित आदेश पारित करेगी। धनराशि भुगतान किये जाने हेतु लिये गये निर्णय के उपरांत मा0 मंत्रीजी के अनुमोदनोपरान्त शासन द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के बजट से धनराशि व्यय की अनुमति प्रदान की जायेगी। समिति की बैठक आवश्यकतानुसार होगी।

2- उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2012 (यथा संशोधन)-2016 के शेष प्राविधान पूर्ववत् प्रभावी रहेंगे।

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0सं0-101/2017/आर-1614(1)/26-3-2017-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- प्रमुख सचिव,वित्त/नियोजन/न्याय/मा0शिक्षा/प्राविधिक/व्यवसायिक/चिकित्सा कृषि शिक्षा विभाग/पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन।

3- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

4- निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विकास उ0प्र0लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त संशोधित नियमावली को सम्बन्धित जनपदों को ई-मेल के माध्यम से तत्काल प्रेषित कराते हुये आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

5- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।

6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।

7- कुल सचिव, उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।

8- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0 उ0प्र0।

9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

10- गार्डफाइल।

आज्ञा से
कामता प्रसाद
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।